

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9

बारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का दूसरा दिवस

संख्या 2

मंगलवार;

19 फरवरी, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राम-राम साहब, राम-राम। बारहवीं विधान सभा के ...

श्री महावीर प्रसाद जैन(सरकारी मुख्य सचेतक): आप ऐसे मुस्कराते रहो
साहब।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले हम इधर बैठे थे न भई। श्री भरत सिंह।

श्री संयम लोढ़ा(सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने....

श्री उपाध्यक्ष: आप, माननीय लोढ़ाजी, प्रश्न आवर, प्रश्नकाल चलने दें।
(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: पिछले महीने की दस जनवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय
को...

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्नकाल चलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार असंवैधानिक
है। जो सरकार विधान सभा के नियम-कानून की पालना नहीं करे, विधान सभा के
नियमों को नहीं माने, अपनी रूलिंग को नहीं माने...

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह क्वेश्चन आवर है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: प्रश्नकाल चलने दीजिये।

श्री जुबेर खान: यह सरकार असंवैधानिक है और असंवैधानिक इस सरकार को
कोई अधिकार नहीं है विधान सभा में यहां जवाब करें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जुबेर खानजी बम्बई में
यह संकल्प लेकर आये हैं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार असंवैधानिक है, जो सरकार अध्यक्ष की व्यवस्थाओं को नहीं माने...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह सरकार संवैधानिक है, जनता की चुनी हुई सरकार है, यह सरकार संवैधानिक और राज्य के आम अवाम की चुनी हुई सरकार है, आपके कहने से असंवैधानिक नहीं हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: कि क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब नहीं होगा और यह अभी जो कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत की पार्लियामेंट ने संशोधन के जरिये राज्य विधान मण्डलों के लिए प्रावधान किया था कि उसकी सदस्य संख्या....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप चीफ व्हिप कान्फ्रेंस में यह संकल्प लेकर आये हैं या नहीं आये हैं...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया: उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा हाउस का टेम्परेचर और लो करवा दें ताकि यह गर्मी नहीं आये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: कि किसी कीमत पर क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब नहीं होगा।..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन: 000

श्री रामप्रताप कासनिया: 000

श्री संयम लोढ़ा: 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा। आप समय मत खराब कीजिये। अंकित नहीं हो रहा, आप बिना परमिशन के क्यों बोल रहे हैं।

श्री जुबेर खान: 000

श्री उपाध्यक्ष: नियमों की पालना करना... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी: 000

श्री जुबेर खान : 000

श्री संयम लोढ़ा: 000

श्री जुबेर खान: 000

श्री मदन राठौड़: 000

श्री हरिसिंह रावत: 000

श्री महावीर प्रसाद जैन: 000

श्री संयम लोढ़ा: 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. सुरेश चौधरी: 000
 श्री महावीर प्रसाद जैन: 000
 श्री बंशीलाल खटीक: 000
 श्री सांगसिंह भाटी: 000
 डा. सुरेश चौधरी: ⁰⁰⁰
 श्री सांवर लाल: 000
 श्री भागीरथ चौधरी: 000

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल पहले होने दीजिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल पहले होने दें। माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रश्नकाल होने दीजिये।

श्री अमरा राम(धोद): 000
 श्री संयम लोढा: 000
 श्री सांगसिंह भाटी: 000
 श्री गोविन्दराम मेघवाल: 000
 श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।
 श्री जुबेर खान: 000
 श्री संयम लोढा: 000
 श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।
 श्री गोविन्द राम मेघवाल: 000
 श्री बंशीलाल खटीक: 000
 श्री सांगसिंह भाटी: 000
 श्री अमरा राम(धोद): 000
 श्री राजेन्द्र राठौड़: 000
 श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं। अब आप विराजिये।
 श्री रामप्रताप कासनियां: 000
 श्री राजेन्द्र राठौड़: 000
 श्री सांगसिंह भाटी: 000
 श्री बंशीलाल खटीक: 000
 श्री गोविन्द राम मेघवाल: 000
 श्री रामप्रताप कासनियां: 000
 श्री जोगाराम पटेल: 000
 श्री सांगसिंह भाटी: 000
 श्री संयम लोढा: 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमरा राम(धोद): 000 (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: 000

श्री गोविन्द राम मेघवाल: 000

श्री जोगाराम पटेल: 000

श्री सांगसिंह भाटी: 000

श्री अमरा राम(धोद): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये, आसन पैरों पर। माननीय लोढाजी, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य.....(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल: 000

श्री संयम लोढा: 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप इस तरह नहीं करें।

श्री संयम लोढा: 000

श्री सांगसिंह भाटी: 000

श्री बंशीलाल खटीक: 000

श्री उपाध्यक्ष: आसन पैरों पर माननीय सदस्य, इस तरह से आप नहीं, माननीय सदस्य, आपको कहने का मौका मिलेगा लेकिन इस तरह नहीं।

श्री रामप्रताप कासनियां: 000

श्री अमरा राम(धोद): 000

श्री सांगसिंह भाटी: 000

श्री अमरा राम(धोद): 000

श्री रामप्रताप कासनियां: 000

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा है। आप सदन का समय बरबाद नहीं करें।

श्री रामप्रताप कासनियां: 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य।

श्री अमरा राम(धोद): 000

श्री रामप्रताप कासनियां: 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां: 000

श्री रघुवीर प्रसाद मीणा: 000

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

श्री रामप्रताप कासनियां: 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जुबेर खान: 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं हो रहा, कोई अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य।

Lpm/akt/1110/1b/19022008

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): 000

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 000

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (संसदीय सचिव): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)....

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं ...(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): 000

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री हरीसिंह रावत (भीम): 000

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ...(व्यवधान)....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 000

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं होगा।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

- डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 000
 श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000
 श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000
 श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): 000
 डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 000
 श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)....
 श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000
 डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 000
 श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए ...(व्यवधान)....
 श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 000
 श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000
 श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए ...(व्यवधान)....
 श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000
 श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान).... माननीय सदस्य आप जान बूझकर के ...(व्यवधान)....
 श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000
 श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000
 श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): 000
 श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000
 श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 000
 श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000
 श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000
 श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): 000
 श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000
 श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): 000
 डा. ओ. पी. महेन्द्रा (संसदीय सचिव): 000
 श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000
 श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000
 श्री संयम लोढा (सिरोही): 000
 श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000
 श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए, अंकित नहीं हो रहा है ... (व्यवधान)....

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री उपाध्यक्ष: ... (व्यवधान).... आपको नियमों में दिया है ... (व्यवधान).... आप स्थान ग्रहण कीजिए। अंकित नहीं हो रहा है ... (व्यवधान)....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (संसदीय सचिव): 000

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): 000

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 000

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है ... (व्यवधान)....

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 000

Bhs/akt/19.2.08/11.20/1c

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री टीकमचंद कांत (सिवाना): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप ...(व्यवधान)...नहीं चाहते हैं।

माननीय सदस्य, सदन की बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11.22 बजे, 12.22 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

कैलाश/चौहान 12.20 19.02.08 1j

(12.22 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्‍नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने क्वेश्चन आवर को एक घंटे के लिये स्थगित कर दिया उसके बाद क्या परिस्थिति निकली कि

श्री उपाध्यक्ष: आप हाउस को नहीं चलाना चाहते ? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): राजस्थान के किसानों की समस्या के लिये लड़ों और इसे चलने दो ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम किसानों की समस्या के लिये ही लड़ना चाह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): किसान की समस्या के बारे में बहस करो । (व्यवधान) यह फालतू कही बहस छोड कर राजस्थान के किसानों की बात करो । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह नियमों की धज्जियां उडा रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं । हम उसकी बात कर रहे हैं जो यह सरकार भ्रष्टाचार फैला रही है ।

एक माननीय सदस्य: यह नियमों की दुहाई देने वाले कौनसे नियम में कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यहां विधान सभा का सत्र चल रहा है और बाहर सरकार राजस्थान रोडवेज का किराया बढा रही है । (व्यवधान)

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बैठ जाइए (व्यवधान) मैं कार्यवाही शुरू कर रहा हूँ। (व्यवधान) माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ... (व्यवधान) जब तक यहां कार्यवाही नहीं करेंगे यह सदन इस तरह नहीं चल सकता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन इनकी बपोती नहीं है। इन्होंने यह शब्द कैसे कह दिया कि सदन नहीं चलेगा, सदन इनकी बपोती नहीं है। राजस्थान की जनता देख रही है। (व्यवधान)

अनुपस्थिति के लिये अनुमति
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी, कृषि राज्य मंत्री को
18 फरवरी, 08 से दो सप्ताह तक

श्री उपाध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी, कृषि राज्य मंत्री ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 18 फरवरी, 2008 से दो सप्ताह तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री संयम लोढा (सिरोही): मुख्य मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में जो असंतोष पैदा हो रहा था राजनीतिक स्वार्थ के लिये 6-6 पार्लियामेंटी सैक्रेटरी राजस्थान की जनता के धन का दुरुपयोग करने के लिये बनाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हम बहस करने के लिये तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): स्पीकर की रूलिंग पर कोई बहस नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुद्दा विहीन प्रतिपक्ष सदन से भागना चाहता है। मुद्दा विहीन प्रतिपक्ष सदन से भागना चाहता है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष द्वारा नारेबाजी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष: मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहा हूँ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल एवं अन्य 22 सदस्यों की ओर से राज्य में पाला पडने से किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट होने के संबंध में ।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन इनकी बपोती नहीं है । यह मुद्दा विहीन विपक्ष यहां से भागना चाहता है। इनके पास किसी प्रकार के शब्द नहीं है । (व्यवधान) हम किसी भी विषय पर बहस करने के लिये और जवाब देने के लिये तैयार हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से राज्य में लम्बी शीत लहर एवं पाले से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबंध में ।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाय । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है एवं बजट पर विस्तृत चर्चा होगी, जिनमें माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है तथा रहेगा, अंतः इन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ ।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष: 1. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से नैनवां स्थित हाट बाजार की भूमि की देखभाल कृषि उपज मंडी समिति बून्दी से करवाने के संबंध में ।

2. श्री बाबूसिंह राठौड, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ की जल योजनाओं हेतु बजट का आबंटन करने के संबंध में ।

3. श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से परबतसर उपखंड मुख्यालय पर नया पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में ।

4. श्री केशर देव बाबर, सदस्य की ओर से जिला सीकर की पंचायत समिति फतेहपुर, लक्ष्मणगढ एवं धोद में शीत लहर के प्रकोप से हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबंध में ।

5. श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा खातोली में नायब तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं पढी हुई मानी जाती है ।

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दे ।

आज दिनांक 19 फरवरी, 2008 को शून्यकाल में बोलने हेतु 27 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं :-

श्री बंशीलाल खटीक, सदस्य की ओर से राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के जिला चिकित्सालय में सीटी स्केल एवं 100 बैड से 200 बैड में क्रमोन्नत व एमआरआई उपलब्ध कराने के संबंध में ।

श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से जालौर जिले को नर्बदा नदी से पेयजल उपलब्ध कराने में हो रहे विलम्ब के संबंध में

श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए साक्षात्कार हेतु गठित चयन समितियों द्वारा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की खुली अवहेलना करने के संबंध में ।

ans/usc 1k 12.30 19.02.2008

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री रामलाल शर्मा विधान सभा क्षेत्र चौमू में पाले से सब्जी, सरसों व गेंहू आदि की फसलें नष्ट हो जाने के संबंध में।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्री रामनारायण डूडी राजस्व मंत्री राजस्व विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित नौ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.2 (19) राज- 6/07/48 दिनांक 26.9.2007 जिसके द्वारा 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना के लिए ग्रामदानी गांव की किस्म बजंड भूमि पर से ग्रामदान का अधिकार समाप्त किया गया है,

2. अधिसूचना संख्या: एफ. 10 (2) राज- 6/2000/49 दिनांक 27.9.2007 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम,1957 में संशोधन किया गया है,

3. अधिसूचना संख्या: एफ. 2 (101) राज/एलसी/07/50 दिनांक 2.11.2007 जिसके द्वारा वी.एस. लिग्नाइट पावर प्राइवेट लि0 के लिये गांव चकबधा नं. 3

तहसील कोलायत, जिला बीकानेर में राज0 कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा- 22 (2) के अन्तर्गत सीलिंग सीमा में छूट दी गई है,

4. अधिसूचना संख्या: एफ 9(74) राज- 6/2007/53 दिनांक 3.11.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ 6(9) राज- 6/78/ दिनांक 4.2.1978 में संशोधन किया गया है,

5. अधिसूचना संख्या: एफ. 6(6) राज-6/92-पार्ट/54 दिनांक 12.11.2007 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है,

6. अधिसूचना संख्या: एफ.2(18) राज- 6/07/56 दिनांक 27.11.2007 जिसके द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को बाडमेर लिफ्ट जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भूमि आवंटन हेतु ग्रामदानी गांव जैसूराणा रिदवा व भागू का गांव स्थित भूमि पर से ग्राम सभा को प्रबंध से निहित किया है,

7. अधिसूचना संख्या: एफ 9(234) राज- 6/2007/57 दिनांक 27.11.2007 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 में संशोधन किया गया है,

8. अधिसूचना संख्या: एफ. 6(24) राज- 6/2001/58 दिनांक 28.11.2007 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व (लवण क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 विरचित किये गये है,

9. अधिसूचना संख्या: एफ 11(1) राज- 6/04/60 दिनांक 11.12.2007 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं।

ग्रामीण विकास एवम पंचायती राज

श्री कालूलाल गुर्जर ग्रामीण विकास एवम पंचायती राज मंत्री अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधिसूचना संख्या एफ. 4 ((11) पीआरडी/ ला./रूल/एमेण्ड/07/445, दिनांक 1.2.2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री यूनुस खान, परिवहन मंत्री 11 अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे।

परिवहन विभाग

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की 11 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ:-

1- अधिसूचना संख्या :एफ.7(94)परि/रूल्स/एच.क्यू./94/11182-93 दिनांक 26.9.2007 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान (संशोधन) नियम ,2007 विरचित किये गये हैं ;

2- अधिसूचना संख्या :एफ.7(271)परि/रूल्स/एच.क्यू./2007/111703-13 दिनांक 4.10.2007 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियम ,2007 विरचित किये गये हैं ;

3- अधिसूचना संख्या :एफ.7(139)परि/रूल्स/एच.क्यू./2007/ दिनांक 28.11.2007 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान (तृतीय संशोधन) नियम ,2007 विरचित किये गये हैं ;

4- अधिसूचना संख्या :एफ.7(273)परि/रूल्स/एच.क्यू./2007/2319 दिनांक 1.2.2008 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम ,1990 में संशोधन किये गये हैं ;

5- अधिसूचना संख्या :एफ.6(96)परि/कर/मु./2001 दिनांक 20.9.2007 जिसके द्वारा भारतीय सेना द्वारा सदभावना यात्रा हेतु अनुबन्धित वाहन पर टैक्स की छूट दी गई है ;

6- अधिसूचना संख्या :एफ.6(96)परि/कर/मु./2006 दिनांक 23.10.2007 जिसके द्वारा जयपुर नगर की सीमा में डबल डेकर वाहनों को पर्यटकों को घुमाने हेतु कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

7- अधिसूचना संख्या :एफ.6(135)परि/कर/मु./2004 दिनांक 19.11.2007 जिसके द्वारा श्री ब्रह्मचारी राम कुमार पन्नालाल गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट के दो वाहनों को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है ;

8- अधिसूचना संख्या :एफ.6(133)परि/कर/मु./2004 दिनांक 22.11.2007 जिसके द्वारा चूरू सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के वाहन को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है ;

9- अधिसूचना संख्या :एफ.6(123)परि/कर/मु./05 दिनांक 23.11.2007 जिसके द्वारा इस्कान फूड रिलीफ फाउण्डेशन के वाहनों को राजकीय स्कूलों में मिड-डे-मील वितरण हेतु टैक्स में छूट प्रदान की गई है ;

10- अधिसूचना संख्या :एफ.6(138)परि/कर/मु./2003 दिनांक 31.01.2008 जिसके द्वारा रोग निदान सेवा संघ ट्रस्ट, बीकानेर के वाहन को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है ;

11- अधिसूचना संख्या :एफ.6(248)परि/कर/मु./2006 दिनांक 1.1.2008 जिसके द्वारा पर्यटन विभाग से मान्यता प्राप्त ट्यूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स के वाहनों को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी ,प्रतिवेदन एवम लेखे राजस्थान स्टेट बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवम लेखे तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवम लेखे सदन की मेज पर रखता हूँ:-

1. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा- 619-ए (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवम लेखे वर्ष 2005-6 एवम
2. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा- 619-ए (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-7

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाबचंद जी कटारिया, गृह मंत्री ग्राम सोहेला, जिला टोंक में हुई पुलिस फायरिंग बाबत गठित न्यायिक जांच आयोग के राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञापन सदन की मेज पर रखेंगे

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा -3 की उप धारा (4) के अन्तर्गत ग्राम सोहेला ,जिला टोंक में हुई पुलिस फायरिंग दिनांक 13.6.2005 बाबत गठित न्यायिक जांच आयोग के जांच प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सांवरलाल जी भू जल मंत्री राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं राजस्थान भूमि विकास निगम का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूँ:-

1. राजस्थान जल विकास निगम के मेमोरेण्डम आफ आर्टीकल्स के नियम-114 के अन्तर्गत निगम का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-7
- 2; राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम 1975 की धारा-37 (9) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि विकास निगम का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-6.

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: श्री दिगम्बर सिंह उद्योग मंत्री राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांभर साल्टस लिमिटेड का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री दिगम्बर सिंह(उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ:-

1. कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत राजस्थान स्माल इण्डस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-7 एवं

2. कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत सांभर साल्ट लिमिटेड का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-7 सदन की मेज पर रखता हूँ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री प्रभूलाल सैनी, कृषि मंत्री राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 29 वां एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 49 वां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री प्रभूलाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ:-

1.कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा,619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-7 एवं

2. दी वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-7 (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री यूनूस खान यातायात मंत्री राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण पत्र सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन अधिनियम 1950 की धारा 33 (4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च 2007 को समाप्त हुये वर्ष के लिये अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण पत्र सदन की मेज पर रखता हूँ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: श्री यूनूस खान जी, श्री गजेन्द्र सिंह ऊर्जा राज्य मंत्री विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का ... (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री) (गजेन्द्र सिंह के स्थान पर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ:-

1. कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2006-7
 2. कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-4,2004-5, 2005-6
 3. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-7 एवं
 4. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 , द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002, तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003, चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एव लेखे वर्ष 2003-4 एवं पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-5
- श्री उपाध्यक्ष: श्री महावीर प्रसाद जी जैन, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 20 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 20)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 20 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी,2008 को मध्यान्ह पश्चात 12.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्रम (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 19 फरवरी,2008 से 25 फरवरी 2008 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2008 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर
बुधवार, दिनांक 20 फरवरी,2008 प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद
गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी,2008 विवाद एवं राज्य सरकार की और से
उत्तर

शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी,2008 बैठक नहीं होगी
शनिवार,दिनांक 23 फरवरी,2008
रविवार, दिनांक 24 फरवरी,2008

सोमवार, दिनांक 25 फरवरी,2008 आय व्ययक अनुमान वर्ष 2008-9 का
उपस्थापन /

दुर्गा/चौहान 190208 12.40 11

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन पर सदन की सहमति प्रकट की जाए?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई। (व्यवधान)

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उप-स्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

राजस्थान भू-जल विकास और प्रबंध का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 2006 पर गठित प्रवर समिति

श्री उपाध्यक्ष: प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उप-स्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि।

श्री सांवर लाल, सभापति, प्रवर समिति प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भू-जल विकास और प्रबंध का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 2006 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उप-स्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भू-जल विकास और प्रबंध का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 2006 पर गठित प्रवर समिति के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उप-स्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008

विधायी कार्य। पुरःस्थापित किये जाने वाला विधेयक।

श्री नाथूसिंह गुर्जर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोक आयुक्त तथा उप लोकआयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री नाथू सिंह गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ। (व्यवधान)

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिये समय।

मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिये लगभग 12 घण्टे का समय उपलब्ध है। इतने समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूँ:

भारतीय जनता पार्टी : 7 घण्टे 20 मिनट

इण्डियन नेशनल कांग्रेस : 3 घण्टे 18 मिनट

इण्डियन नेशनल लोकदल : 12 मिनट

जनता दल, यूनाइटेड : 8 मिनट

बहुजन समाज पार्टी : 8 मिनट

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) : 4 मिनट

लोक जनशक्ति पार्टी : 4 मिनट

निर्दलीय : 47 मिनट

कुल समय : 12 घण्टे

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री शांतिलाल चपलोत, सदस्य, विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रस्तुत किया जाए। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जाए:-

‘इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।

राज्यपाल महोदय, द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से गत 18 फरवरी को.....।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.45 बजे एक घण्टे के लिये स्थगित हुई।)

Vps-usc- 19.02.2008-13.40-2a

(13.45 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(सदन में भारी शोरगुल एवं हंगामा)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ... (व्यवधान) कार्यवाही चलने दो, साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्य मंत्रीजी आएं, जब चलेगी।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): क्यों? चलेगी यह तो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह जब असम और हरियाणा ने रूल्स बदल लिये तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा विधान सभा और असम विधान सभा ने यह रूल बदल दिये तो यहां क्यों आपके पास ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य कोई भी नियम के तहत सवाल उठाये, यह नियम से आए, यह प्रक्रिया और नियमों से आए। यह प्रक्रिया और नियमों से आए तो हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आप बारबार यह क्या कर रहे हो? बारबार हंगामा क्यों कर रहे हो? बारबार हंगामा करके आप ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रूल्स हैं उनके तहत यह आए, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। यह नियम से आते हैं तो हम तैयार हैं उत्तर देने के लिए। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ... (व्यवधान) आप यह तय करके आये हो। आप सदन की कार्यवाही को ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): इस तरह से टाइम खराब करके ... (व्यवधान) हंगामा खड़ा करके, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह नियमों और प्रक्रियाओं में आते हैं तो हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): हाय-हाय, हल्ला करने के अलावा कुछ नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बहस करा लो। बहस करा लो, इस विषय पर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहस करना नहीं चाहते। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप ले आओ न प्रस्ताव। प्रस्ताव लेकर आओ न। प्रस्ताव लेकर आओ न, प्रस्ताव। चाहो जब ले आओ। करा लो बहस। लाओ प्रस्ताव।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बहस ... (व्यवधान) विपक्ष के माननीय सदस्य चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नियम और प्रक्रिया में आ जाएं। हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकर आओ प्रस्ताव। लेकर आओ प्रस्ताव। ... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आप किसान की बात करो। जमीन और किसान की बात करो, यह क्या बात कर रहे हो? ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लेकर आओ प्रस्ताव। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन किसी की बपौती नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ... (व्यवधान) लूट कर खा गये राजस्थान को। लूट कर खा गये। ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कौन मना करता है बहस के लिए? ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ... (व्यवधान) लूट कर खा गये राजस्थान को। ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता का हाउस में उठाने के लिए। पूरी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह राजस्थान की जनता के धन के लुटेरे हैं। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य। ... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): बहस से डर क्यों रहे हैं, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बहस करने के लिए तैयार हैं। कराओ बहस, कौन मना कर रहे हैं? ... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): बहस से डरते क्यों हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बहस तो करो।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): इनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है, केवल हाँ-हुल्ला के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल हाँ-हुल्ला करके सदन का समय खराब किया जा रहा है। ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): बहस करो आप। ... (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): अगर इनके पास मुद्दा होता तो ... (व्यवधान) जब हम बहस करने को तैयार हैं, हम बहस करने को तैयार हैं तो ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): मुद्दा आपके पास कोई है नहीं। ... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): समय नष्ट कर रहे हो। ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): यह किसानों की, गरीबों की दुहाई देने वाले किस मुंह से बोल रहे हैं? बहस की जाए। यह किस मुंह से बोल रहे हैं? यह कांग्रेस के लोग ... (व्यवधान) यह किस मुंह से बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग? यह बोल रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भी बात सुनेंगे। माननीय सदस्य।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहस से भय क्यों खा रहे हैं यह? हजार चूहे खा कर बिल्ली चली हज को। बहस से भय क्यों खा रहे हो? ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): इसलिए खा रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): बहस से भय खा रहे हो। आपको डर लग रहा है कि कोई सही बात सामने आ गयी तो कम से कम आपके वोट कम हो जाएंगे। ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): भयंकर भय लग रहा है बहस से इनको।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): विधान सभा का दुरुपयोग आप कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): इन्होंने पूरे देश का दुरुपयोग किया है। राज्य का दुरुपयोग किया है। इनके पास बहस के लिए मुद्दा नहीं है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): बात कहनी है, क्षेत्र की बात कहनी है तो बहस करें। ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): बहस के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप थोड़ा बैठिये, एक बार आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह संविधान को मानते नहीं, नियमों को मानते नहीं और जब ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): यह चुन कर आये हैं, विधान सभा का धर्म है कि ... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): यह सदन का दुरुपयोग है। कृपया, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप बैठिये। पहले आप बैठिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आइये, बहस करते हैं इस बात पर, कोई दिक्कत नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इश्यू लाओ न आप। ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): पूरे राजस्थान की जनता आपको देख रही है, करोड़ों रुपये सदन पर खर्च हो रहा है। पूरे राजस्थान की जनता आपको देख रही है। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय लोढ़ाजी, ... (व्यवधान) निवाई से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल (निवाई): आप नियमों में आइये। बहस करिये।

श्री उपाध्यक्ष: आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): बहस करिये।

श्री उपाध्यक्ष: आप नियमों के अन्तर्गत किसी मुद्दे को उठाएंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। पूरे नियमों से आइये। ... (व्यवधान)

शिव/अरूण/13.50/2b/19.2.2008

श्री हीरालाल (निवाई): आप नियमों में आइये, बहस करिये मुद्दे पर।(व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को नसीहत दो। यह नियमों की पालना करे, यह सरकार को नसीहत दो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सरकार को मजबूर किया जायेगा जवाब देने के लिये, लेकिन आप थोड़ा नियमों में आइये। (व्यवधान) टोरे मारने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): सबसे ज्यादा नियम आप ही तोड़ते हो। मुद्दे तो हैं नहीं आपके पास, ना कोई नियम है। गली-गली में शोर है, सोनिया गांधी चोर है। और आप सब सोनिया के चेले हो। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): हिम्मत हो तो बहस कराकर बताओ कोई कांग्रेस का सदस्य। हिम्मत है तो बहस करके बतायें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): आपके पास तो घर में, देश में कोई राष्ट्रीय नेता ही नहीं है। सारी चौधराहट तो आपने इटली के हाथ में दे रखी है और बातें कर रहे हो बड़ी-बड़ी। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): नियमों में आवें। अगर नियमों में आवें तो हम बहस कराने को तैयार हैं और बिना नियमों में आकर खड़े होकर हल्ला कर रहे हैं... (व्यवधान) सदन का दुरुपयोग कर रहे हो।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): आप तो अपने नेता को नेता ही नहीं मानते। आप इटली से गाड़ हो रहे हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आशा की किरण यहां से जगनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): गली-गली में शोर है, सोनिया गांधी चोर है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह गलत है उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): 000

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000

श्री रामप्रताप कासनिया: 000

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्रीमती ममता शर्मा: 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): 000

(सदन में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 000

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): 000

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000

श्रीमती ममता शर्मा: 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थानों पर बैठें। (व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया शांत हो जायें, अपने स्थानों पर बैठें।

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): 000

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 000

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी एवं व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भी नारेबाजी एवं भारी शोरगुल)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप कहां कर रहे हो? बहस किस बात की? आप मोशन लेकर आइये। (व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री सांगसिंह भाटी: 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री गौतम लाल मीणा: 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री ओ.पी.महेन्द्रा : 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

- श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 000
 श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): 000
 श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000
 श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): 000
 श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000
 डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000
 श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000
 श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000
 श्री धर्मपाल चौधरी: 000
 श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000
 श्री रामप्रताप कासनिया: 000
 श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000
 श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)
 श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): 000
 श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000
 श्री बृजकिशोर शर्मा(जयपुर ग्रामीण): 000

Msr/akt/1400/2c/19.2.2008

- श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000
 श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): 000
 श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000
 श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000
 श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): 000
 श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 000
 श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000
 श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 000
 डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000
 श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। ...(व्यवधान)... इसी मुद्दे पर आप मोशन लाएं नियमानुसार तो आपको मौका दिया जायेगा बोलने का ...(व्यवधान)... व्यवस्था दी जायेगी ...(व्यवधान)...
 श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000
 श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

- श्री उपाध्यक्ष: पहले में और इसमें बहुत फर्क पड़ गया है ...(व्यवधान)...
- श्री संयम लोढा (सिरोही): 000
- श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000
- श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000
- डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000
- श्री संयम लोढा (सिरोही): 000
- श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 000
- श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): 000
- श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, विराजें आप पहले ... (व्यवधान)... बोलने का मौका आयेगा उस समय बोल लेना ... (व्यवधान)...
- डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000
- श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000
- डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000
- श्री उपाध्यक्ष: श्री शान्तिलाल चपलोत। ... (व्यवधान)... मोशन लेकर आएँ, नियमानुसार लेकर आएँ मोशन। ... (व्यवधान)...
- श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000
- श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000
- श्री उपाध्यक्ष: मौका दिया जायेगा। ... (व्यवधान)...
- श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): 000
- श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000
- श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): 000
- श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली): उपाध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)... सदन को सम्बोधित किया ... (व्यवधान)... सभी विधायक उनका सम्मान करते हैं ... (व्यवधान)... ऐसे समय में आकर के मार्गदर्शन किया। ... (व्यवधान)...
- श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): 000
- श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने लोक कल्याणकारी ... (व्यवधान)...
- श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): 000
- श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): 000
- श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण कीजिए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। ... (व्यवधान)...
- श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): 000
- श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के अन्दर यह पूर्व में भी प्रश्न हमारे पार्टी के माननीय सदस्यों ने ही उठाया कि संसदीय सचिव मंत्री ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: बीच में टोका-टाकी नहीं। माननीय सदस्य, टोका-टाकी नहीं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आप तो कह दो एस.सी. विरोधी हो आप लोग। आप कहो, बोलो आप, एस.सी. विरोधी हो।

एक माननीय सदस्य: बोलने की जरूरत नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): बोलो आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आप तो कह दो आप शिङ्गूल्ड कास्ट विरोधी हो, बोल दो आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): हमारी पार्टी के माननीय सदस्य ने अध्यक्षजी के यह प्रश्न उठाया विधान सभा में तो अध्यक्षजी ने यह व्यवस्था दी कि संसदीय सचिव हैं वो मंत्री हैं और मंत्री की हैसियत से विधान सभा के अन्दर बिल पायलेट कर सकता है, केवल जवाब ही नहीं, विधान सभा के अन्दर बिल पायलेट कर सकता है। तो फिर मंत्री है और यह व्यवस्था अध्यक्षजी द्वारा दी जा चुकी है, जब व्यवस्था अध्यक्षजी द्वारा यह दी जा चुकी है, यह विधान सभा के कार्य एवं संचालन सम्बन्धी जो नियम हैं, इसमें जो परिभाषा दी है उसमें पार्लियामेंटी सेक्रेटरी को मंत्री माना है और उसी के आधार पर अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी है, इन नियमों को ही तो आधार मान कर व्यवस्था है, इन नियमों के हिसाब से ही व्यवस्था दी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कौनसा क्लॉज है वो?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): यह क्लॉज दो जो डेफिनेशन दी है उसमें ए डिप्टी मिनिस्टर और ए पार्लियामेंटी सेक्रेटरी ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कौनसे में है, बताओ।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): यह पढ़ कर सुना दू आपको, कोई बात नहीं। नहीं, नहीं, आप समझते हो कौनसा क्लॉज है, यह भी मेरे को मालूम नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जब डिबेट आपने ओपन करी फिर हम भी जवाब देंगे, हमें भी बोलने का मौका देना। ...(व्यवधान)... अगर डिबेट चालू हो गयी है तो फिर हमें भी बोलने का मौका दें आप। ...(व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपने डिबेट प्रारम्भ कर दी है तो ...(व्यवधान)...

अनेक माननीय सदस्य: नो, नो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आसन को गाइड मत करो आप। ... (व्यवधान)... आप आसन को गाइड नहीं कर सकते। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि यदि डिबेट आपने ओपन कर दी है, आसन की व्यवस्था सर्वोपरि है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है अब यह बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, सदन यह चलने देना नहीं चाहते। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन ने जो व्यवस्था दे दी, अगर प्रतिपक्ष के नेता उसकी विवेचना कर रहे हैं तो ... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: राठौड़ी नहीं चलेगी, राठौड़ी नहीं चलेगी। ... (व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप आसन को गाइड न करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर इसका रिकार्ड स्ट्रेट रहे, इसमें हम भी चाहते हैं अगर प्रतिपक्ष के नेता ने बहस चालू कर दी है तो उत्तर देने का हमें कोई समय भी मिले। ... (व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): दें न आप, आपको कौन रोकता है। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनकी पूरी बात सुनें आप, हमें कोई ऐतराज नहीं, प्रतिपक्ष के नेता की पूरी बात सुनें आप।

एक माननीय सदस्य: अजी, आप तो बैठ जाओ। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसका उत्तर देने के लिए मेरी यह आसन से प्रार्थना है कि हम भी अपनी बात कहना चाहेंगे, हमें भी मौका दिया जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, कहो न, आपको कौन रोकता है, आप बीच में व्यवधान नहीं करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बीच में खड़े क्यों हुए? ... (व्यवधान)...

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): जब हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अगर बहस चालू कर रहे हैं तो हमें भी समय दिया जाए तो समय दिलाया जाए। क्या दिक्कत है इसमें, फिर सारे के सारे, सभी क्यों खड़े हो रहे हैं? ... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: आप सुनते क्यों नहीं हो?

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): पहले आप बोल लो फिर हमारे मंत्रीजी जवाब देंगे उस बात का, इसमें हल्ला करने की जरूरत क्या है। ... (व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)...

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): हरिमोहनजी, बीच में आप ब्या बोलते हैं, पता ही नहीं चलता। ... (व्यवधान)...

श्री संयम लोढा (सिरोही): स्पीकर की रूलिंग पर कोई डिबेट नहीं हो सकती ... (व्यवधान) ... कोई डिबेट नहीं हो सकती स्पीकर की रूलिंग के ऊपर ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सदन इनकी बपौती नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: नो, नो। इसमें डिबेट नहीं होगी। ... (व्यवधान)...

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): आपके नेता बोल रहे हैं न, बोलने दो इनको, बाद में राजेन्द्रजी राठौड़ ... (व्यवधान) ... मंत्री जवाब दे देंगे, क्या दिक्कत है?

श्री हेमराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): आप अपना ज्ञान वर्धन कर लें, सचेतक महोदय। ... (व्यवधान)...

Ars/akt/1410/2d/19022008/1

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस विषय पर डिबेट शुरू हो रही है तो

श्री संयम लोढा (सिरोही): कोई डिबेट नहीं हो सकती। स्पीकर की रूलिंग के ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अगर आप डिबेट करेंगे और हमको अलाऊ नहीं करेंगे तो ... (व्यवधान) इनको भी नहीं सुनेंगे।

श्री संयम लोढा (सिरोही): स्पीकर की रूलिंग पर कोई डिबेट नहीं हो सकती, स्पीकर सुप्रीम है, कोई डिबेट उनकी रूलिंग पर नहीं हो सकती। ये क्या प्वाइंट रख रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष की व्यवस्था पर चर्चा हो रही है तो उस चर्चा में हम भी पार्टीसिपेट करेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कोई डिबेट नहीं हो सकती, कोई अलाऊ नहीं कर सकता डिबेट स्पीकर की रूलिंग के ऊपर।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): दो रोज से डिबेट हो रही है और कह रहे हैं डिबेट नहीं हो सकती।

श्री संयम लोढा (सिरोही): ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, स्पीकर की रूलिंग पर कोई डिबेट नहीं हो सकती ... (व्यवधान) Nobody can allow. Nobody can allow debate on the ruling of the Hon'ble Speaker.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर क्यों कर रहे हो, फिर क्यों कर रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): स्पीकर की रूलिंग के ऊपर अगर डिबेट नहीं हो सकती तो ...(व्यवधान) बंद करो इसको।

एक माननीय सदस्य: फिर आप नहीं बोल सकते, फिर इनको चुप कराओ।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने डिबेट शुरू करा दी है?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है।

श्री संयम लोढा (सिरोही): स्पीकर की रूलिंग पर कोई डिबेट नहीं हो सकती ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सिर्फ प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार नहीं है ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की आप रूलिंग दे सकते हैं क्या इस विषय पर डिबेट करें या न करें ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आसन पर अभी आप हैं और इस विषय पर डिबेट की जा सकती है या नहीं, आप रूलिंग दें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): कोई बोलना चाहें उनको तो बोलने नहीं दें ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पहले तय करो डिबेट होगी कि नहीं होगी।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आप रूलिंग दें कि क्या हम डिबेट शुरू करें। हम डिबेट शुरू करें कि नहीं करें इस पर रूलिंग फरमाएं आप। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष क्या मुद्दा उठाना चाहते हैं इनको कहने तो दीजिए।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उस मुद्दे का जवाब भी तो होगा ना।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब होगा तो जवाब के लिए

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): इनका मुद्दा साफ है यह अपनी बात कहकर सदन से भागेंगे । हम चाहते हैं ...(व्यवधान) पूरी बहस कराना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): स्पीकर की रूलिंग को यह चेंज नहीं कर सकते।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आसन पर अगर चेयरमैन भी बैठे हैं तो भी रूलिंग होती है, सभापति होता है तो भी रूलिंग उसकी चलती है, व्यवस्था उसकी चलती है, आसन की होती है व्यवस्था। ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): या तो हमारी बात सुनकर जाएं ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): व्यवस्था किसी की नहीं व्यवस्था आसन की होती है ...(व्यवधान) चेयर पर जो भी हो उसकी व्यवस्था होती है। व्यवस्था आसन

की होती है, यह व्यवस्था उनको बुलाओ, उनको बुलाओ नहीं चल सकता ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): नहीं बोल सकते।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): हम तो आपको न्योता दे रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): व्यवस्था होती है तो ही बोलेंगे। अगर डिबेट नहीं होती है तो आपको यह बात रखने का अधिकार ही नहीं है। आप डिबेट करा दीजिए।

श्री संयम लोढा (सिरोही): स्पीकर की रूलिंग पर कोई डिबेट नहीं हो सकती ... (व्यवधान) कोई डिबेट नहीं हो सकती and Deputy Speaker cannot change Hon'ble Speaker's ruling. Can't change.

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह आपका नहीं है विषय।

श्री संयम लोढा (सिरोही): आपका नहीं है क्या होता है, स्पीकर सुप्रीम है ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अभी यह पूर्णतया अध्यक्ष के रूप में हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): " 'Minister' means a member of the Council of Minister, a Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary."

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बहस नहीं हो सकती तो सदन में क्यों उठा रहे हो, अगर बहस नहीं हो सकती तो सदन में क्या उठा रहे हो? ... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): व्यवस्थाएं और रूलिंग सारी की सारी आसन की होती हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि स्पीकर की रूलिंग पर बहस नहीं हो सकती फिर किस बात पर बहस कर रहे हैं ये? एक तरफ कह रहे हैं स्पीकर की रूलिंग पर बहस नहीं हो सकती और दूसरी तरफ कह रहे हैं बहस उठा रहे हैं। अगर यह उठा रहे हैं तो जवाब देने का अधिकार हमें भी है, हमें भी मौका दिया जाय।

श्री संयम लोढा (सिरोही): नहीं, नहीं, नहीं दे सकते ... (व्यवधान) स्पीकर की रूलिंग पर आप कोई भी जवाब नहीं दे सकते।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): आप अपने नेता को बताइये ना फिर क्यों बोल रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): फिर क्यों बोल रहे हैं ... (व्यवधान) आप अपने नेता को बताइये ना। फिर तो हमको भी बोलने का अधिकार है, जवाब कौन देगा ... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक नियम के अन्दर एक भाव और भी होता है मूल भाव प्रत्येक नियम के अन्दर और इस रूलिंग का मूल भाव क्या है इस पर बहस होनी चाहिए ... (व्यवधान) मूल भाव क्या है। मैं यह नहीं कहता कि स्पीकर की रूलिंग को समाप्त किया जाय, मैं यह कह रहा हूँ कि स्पीकर की रूलिंग का मूल भाव क्या है। जैसा कि विरोधी दल के नेता महोदय कह रहे थे, आप लोगों ने एक प्रश्न किया था, इधर से एक प्रश्न हुआ था, वह यह हुआ था कि संसदीय सचिव प्रश्नों के जवाब या कार्य कर सकते हैं या नहीं, यह एक था और इस पर जो रूलिंग थी और इस प्रकार से जो भाव इसके अन्दर रहे उस पर बहस होनी चाहिए ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन को नियंत्रित कीजिए ... (व्यवधान) आप सदन की परम्पराओं को ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की, आपकी अनुमति से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हमको अनुमति है कि नहीं?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय को (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): मैं आपकी अनुमति से खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: बोलने की अनुमति दी है, यह क्या बोलना चाहते हैं ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हमको अनुमति है कि नहीं?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): आप बहुमत में हैं, आप सत्ता में हैं इसलिए आप बोलने से रोक रहे हैं, यह प्रजातंत्र का हनन है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): हम नहीं रोक रहे हैं, आपको रोक रहे हैं आपकी पार्टी के लोग, हम नहीं रोक रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग रोक रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): बोलने की अनुमति मुझे दी जा रही है ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले यह बहस करने की परमिशन लें उसके बाद बहस करवाएं ... (व्यवधान) नहीं तो फिर यह सुनेंगे नहीं दूसरों की।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आपके सदस्य रोक रहे हैं वह कह रहे हैं कि इस पर बहस नहीं हो सकती ... (व्यवधान) और अगर आसन से अनुमति है बहस की तो ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): हाउस को आप आर्डर में नहीं लाना चाहते हैं ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपके सदस्य रोक रहे हैं आपको बोलने से।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): आप गलती को छिपाने के लिए हाउस को आर्डर में नहीं लाना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष क्या कहना चाहते हैं, इनको कहने दीजिए।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): अगर डिबेट होगी तो फिर हमारे लोग जवाब देंगे। ...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे तो पहले व्यवस्था दीजिए, हम भी बोलेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात रखते हैं तो हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान) अगर यह बोल रहे हैं तो हमें भी मौका दीजिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हमें भी बोलने का मौका देंगे, यह व्यवस्था दें, उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दें आप। ...(व्यवधान) अगर यह बोलेंगे तो हमें भी अलाऊ करेंगे।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, हम इनके बोलने के बाद, आप यह व्यवस्था दें कि वापस हम भी बोलें, हमको भी मौका मिलना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्री मिनिस्टर बार बार मेरी तरफ अंगुली कर रहे हैं, यह अनपार्लियामेंट्री है, आप प्रोटक्शन दीजिए मेरे को, यह बार बार अंगुली कर रहे हैं मेरी तरफ, यह अनपार्लियामेंट्री है। ऐसे नहीं कर सकते यह क्या तरीका है, आप धमका रहे हो क्या हमको?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह अंगुली बहुत इम्पार्टेंट है, यह अंगुली बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री संयम लोढा (सिरोही): इस तरीके से हाउस के मैम्बर की तरफ बार बार अंगुली करना अनपार्लियामेंट्री है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह मंत्री जी के और आपके बीच की बात है।

एक माननीय सदस्य: कुछ न कुछ देखकर ही अंगुली की है।

श्री संयम लोढा (सिरोही): पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन क्या होती है, चार साल हो गये इनको मंत्री बने हुए। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री बने हुए चार साल हो गये हैं थोड़ा पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन सिखाइये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह इनके और संयम लोढा जी के बीच की बात है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): संयम जी, अभी तक तो मैं आपकी तरफ अंगुली कर रहा था केवल ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): आप थोड़ा पार्लियामेंटरी ट्रेडिशन को फालो कराएं। इस तरीके से आप अंगुली करते हैं एक मिनिस्टर होकर के यह अच्छी बात नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): गलत है यह कहां पे की अंगुली ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अंगुली कहां पर की है? बताइये अंगुली किस जगह पर की है ...(व्यवधान) यह जांच का विषय है।

श्री संयम लोढा (सिरोही): पूरा राजस्थान देख रहा है, आप इस तरीके से हाउस के अन्दर मेरे को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पहले अंगुली कहां की यह तय करो, पहले किधर की गयी है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह रांग नम्बर डायल कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अंगुली की बात कर रहे हो आप, चालीस आदमी मरवा दिये ...(व्यवधान) चालीस पचास आदमी मरवा दिये हैं। यह गोलियां चलाने वाली सरकार है, अंगुली के लिए तो संयम जी माफ करो।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह सदन है अपना स्तर मत गिराओ। उपाध्यक्ष महोदय, यह अपना स्तर नहीं गिराएं, हाउस चलने दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अभी तो अंगुली से ही डरे हो, आगे की बात तो अभी आपको पता ही नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी गोलियों से पचास आदमी मारे तो भी नहीं डर रहे हैं। यह तो केवल आपको बहला रहे हैं। चालीस पचास आदमी मार दिये आपकी सरकार ने और उसके बाद आप हंस रहे हो ...(व्यवधान) ना गोलियों से न आपकी बदले की भावना से डरेंगे ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हरिमोहन जी, आपने कितने लोग मारे, यह पता है कि नहीं है आपको ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): इस देश का पूरे का भट्ठा बैठा दिया, उलटा उलाहना हम लोगों को दे रहे हो आप। ...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हाउस का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। कार्यवाही शुरू करवाएं आप, समय बर्बाद हो रहा है, हाउस का कीमती समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और डिबेट शुरू होनी चाहिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष महोदय, आज भी किसान रो रहा है, दलित रो रहा है इस पार्टी के लिए। सबसे ज्यादा राज इन्होंने किया है और

गोलियों का आरोप हमारे पर लगा रहे हैं ...(व्यवधान) महाराष्ट्र में मर गये, जिन लोगों ने आपको राज में रखा वह रो रहे हैं, आज वह झोंपड़ों में बैठे रो रहे हैं उनको कोई सुविधा नहीं थी। ...(व्यवधान)

vns/akt/14-20/2e/19-2-2008

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): जिन लोगों ने आपको राज में रखा वह रो रहे हैं आज। वह झोंपड़ियों में बैठे रो रहे हैं। उनको कोई सुविधा नहीं थी..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सभी नहीं बोलेंगे...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): पश्चिमी बंगाल में गोलियां चलायी आप कुछ नहीं बोले। आपके सहयोगी सी.पी.एम. ने वहां गोलियां चलवायी नन्दीग्राम में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। बीच में मत करें(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): 000

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आन स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए, यह बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): 000

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): 000

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं बोलते हैं...(व्यवधान)

श्री हेमराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की उसका मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैंने..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री हेमराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बोलने की अनुमति प्रदान की है..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या कहना चाहते हैं ? क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: बोलने की किस बात पर अनुमति दी है, कोई कहना चाहते हैं बात आने दो..(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): 000

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): 000

श्री हेमराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने डिबेट प्रारम्भ नहीं की..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

- श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): 000
- श्री उपाध्यक्ष: बजट डिबेट..(व्यवधान)
- श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 000
- श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): 000
- श्री उपाध्यक्ष: क्या कहना चाहते हैं बोलने से ही पता चलेगा।
- श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 000
- श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): 000
- श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): 000
- श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 000
- श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): 000
- श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): 000
- श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000
- श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य..(व्यवधान)
- श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की इसको यह सत्ता पक्ष चेलेन्ज कर रहा है..(व्यवधान)
- श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलने की..(व्यवधान)
- श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मतलब इनके कोई बात गले उतर ही नहीं रही है। यह तो चाहते हैं जैसा हम चाहें वैसे ही इस हाउस में होना चाहिये। इसके सिवाय कुछ नहीं होना चाहिये। आपकी व्यवस्था को यह माने नहीं..(व्यवधान)
- श्री उपाध्यक्ष: किस बात पर...(व्यवधान)
- श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। मैं क्या बोलता, क्या नहीं बोलता..(व्यवधान)
- श्री उपाध्यक्ष: हां, आप पहले सुन लीजिये मेरी बात। मेरी किसी मुद्दे पर बोलने की स्वीकृति नहीं है। आप किस बात पर बोलना चाहते हैं आप कहेंगे उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा...(व्यवधान)
- श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कोई मुद्दे पर चर्चा के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ..(व्यवधान)
- श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 000
- श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000
- श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाह रहा..(व्यवधान)
- श्री संयम लोढा (सिरोही): 000
- श्री उपाध्यक्ष: फिर आप बीच में..(व्यवधान)

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): 000

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने मुझे बोलने की अनुमति तो दी है ना ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): 000

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज प्रतिपक्ष के नेता को भी बोलने की यहां ... (व्यवधान) एक शब्द आप बोलने नहीं दे रहे हैं तो फिर यह हाउस कैसे चलेगा। आप कोई तरीका तो बताओ ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): 000

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं और आपसे ही निवेदन कर रहा हूं। इनसे यह बीच-बीच में खड़े हुए ... (व्यवधान) मैं बोलना शुरू करूं यह चुप हो तो बोलना शुरू करूं। नहीं तो मैं क्या बोलूं ? क्या बात करूं ? अपनी बात कहूं, इनको आप चुप तो करें ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा शांति ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बोलूंगा जब विषय आयेगा ना। बोलने ही नहीं दोगे तो क्या आयेगा ? ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा सुनिये-सुनिये। ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: कहने दीजिये इनको ... (व्यवधान) माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष की जो व्यवस्था पूर्व में दी गयी वह यह व्यवस्था दी गयी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, किस बात पर दी है, क्या बात है, आप इस पर ... (व्यवधान) तो बताइये आप ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 000

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं वही तो निवेदन कर रहा हूं। पूर्व में जो व्यवस्था दी गयी वह यह व्यवस्था दी गयी कि संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद् में शामिल हैं और वह बिल पायलट कर सकता है सरकार की तरफ से और उसको मंत्री माना

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

है। यह अध्यक्ष की व्यवस्था है। अध्यक्ष की व्यवस्था को यह माने नहीं, मखौल उड़ाएं उसका और मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): 000

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: शांति रखिये ... (व्यवधान) माननीय शांति रखिये ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको मालूम है कि यह गलती पर हैं। इनकी गलती सामने आ जायेगी। बोलने पर उजागर हो जायेगी। इनके चोर की दाढ़ी में तिनका है। इनको पता है यह गलती पर हैं और चोर की दाढ़ी में तिनका है इसलिये यह बोलने नहीं देते। बोलने नहीं देंगे तो इनकी बात उजागर नहीं होगी। इनकी गलती सामने नहीं आयेगी और यह ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): 000

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष की जो व्यवस्था पूर्व में सदन में दी जा चुकी है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उस व्यवस्था की पालना करें आप ... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): 000

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): 000

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो। ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): 000

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान) आप नहीं चलाना चाहते हाउस। आप हाउस चलाने में इंटरस्टेड नहीं हैं।

सदन की बैठक कल सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.28 बजे बुधवार, दिनांक 20.2.2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

विषय सूची
मंगलवार; 19 फरवरी, 2008

अनुपस्थिति के लिये अनुमति	9
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी, कृषि राज्य मंत्री को 18 फरवरी, 08 से दो सप्ताह तक	9
स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था	9
नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं	10
सदन की मेज पर रखे गये पत्र	11
अधिसूचनाएं	11
राजस्व विभाग	11
ग्रामीण विकास एवम पंचायती राज	12
परिवहन विभाग	13
प्रतिवेदन एवं लेखे	14
समिति का प्रतिवेदन	16
कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 20)	16
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उप-स्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि	17
राजस्थान भू-जल विकास और प्रबंध का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 2006 पर गठित प्रवर समिति	17
विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन	17
राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008	17
घोषणा	18
धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद हेतु समय का बंटवारा	18
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	18

सदस्य सूची (पृष्ठानुसार)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री):, 26	श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):, 5
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32	श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):, 23, 24, 25
डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना):, 33, 34, 37, 38	श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):, 5, 6, 7
डा. सुरेश चौधरी (भादरा):, 5, 6, 7, 24	श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 33, 34
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):, 19, 28	श्री युनूस खान (यातायात मंत्री):, 13
श्री अमराराम (धोद):, 7	श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराडा):, 23, 24, 26, 36
श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा):, 5, 6	श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):, 5, 6, 8, 9, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 38, 39
श्री उपाध्यक्ष:, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री):, 11
श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री):, 34	श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):, 5, 6, 7, 24, 25, 29
श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):, 12, 32, 34, 36, 37, 38	श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री):, 35, 36, 37, 39
श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़):, 7	श्री विजय बंसल (भरतपुर):, 23
श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री):, 14	श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर):, 19, 21
श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):, 23, 24, 25	श्री शांतिलाल चपलोट (मावली):, 18, 26
श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री):, 14	श्री श्रवणकुमार (पिलानी):, 7, 35
श्री जुबेर खान (रामगढ़):, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 38	श्री संयम लोढा (सिरोही):, 5, 6, 7, 9, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38
श्री जोगाराम पटेल (लूणी):, 6, 25, 26	श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):, 6, 19, 20, 21, 37, 38
श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32	श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):, 5, 7, 14, 17
श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):, 25	श्री सी. डी. देवल (रायपुर):, 33, 36
श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा):, 26, 27	श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):, 5, 6, 7, 24, 28, 34
श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):, 5	श्री हरीसिंह रावत (भीम):, 5
श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):, 5, 23, 35, 39	श्री हीरालाल (निवाई):, 22
	श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व):, 7
	श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी):, 23, 26, 36, 38